

प्रेस विज्ञप्ति

जनवरी-फरवरी, 2017 के दौरान विक्रेय दिनांकित प्रतिभूतियों का निर्गमन कैलेंडर

(2 जनवरी से 10 फरवरी, 2017 तक)

केंद्र सरकार की नकदी की स्थिति की समीक्षा करने के बाद, भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके राजकोषीय वर्ष 2016-2017 (2 जनवरी से 10 फरवरी, 2017 तक) के उत्तरार्ध हेतु सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गमन के लिए निलामी कैलेंडर में संशोधन किया है जो निम्नानुसार है:

भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों का निर्गमन कैलेंडर

(2 जनवरी, 2017 से 10 फरवरी, 2017 तक)

Sr. No.	निलामी का सप्ताह	राशि (₹ करोड़)	प्रतिभूति-वार आवंटन
1	02-06 जनवरी, 2017	11,000	i) 05-09 वर्ष ₹ 2,000-3000 करोड़ के लिए
			ii) 10-14 वर्ष ₹ 5,000-6,000 करोड़ के लिए
			iii) 15-19 वर्ष ₹ 1,000-2,000 करोड़ के लिए
			iv) 20 वर्ष और अधिक ₹ 2,000-3,000 करोड़ के लिए
2	09-13 जनवरी, 2017	11,000	i) 05-09 वर्ष ₹ 2,000-3000 करोड़ के लिए
			ii) 10-14 वर्ष ₹ 5,000-6,000 करोड़ के लिए
			iii) 15-19 वर्ष ₹ 1,000-2,000 करोड़ के लिए
			iv) 20 वर्ष और अधिक ₹ 2,000-3,000 करोड़ के लिए
3	16-20 जनवरी, 2017	11,000	i) 05-09 वर्ष ₹ 2,000-3000 करोड़ के लिए
			ii) 10-14 वर्ष ₹ 5,000-6,000 करोड़ के लिए
			iii) 15-19 वर्ष ₹ 1,000-2,000 करोड़ के लिए
			iv) 20 वर्ष और अधिक ₹ 2,000-3,000 करोड़ के लिए
4	23-27 जनवरी, 2017	11,000	i) 05-09 वर्ष ₹ 2,000-3000 करोड़ के लिए
			ii) 10-14 वर्ष ₹ 5,000-6,000 करोड़ के लिए
			iii) 15-19 वर्ष ₹ 1,000-2,000 करोड़ के लिए
			iv) 20 वर्ष और अधिक ₹ 2,000-3,000 करोड़ के लिए
5	30 जनवरी से 03 फरवरी, 2017	11,000	i) 05-09 वर्ष ₹ 2,000-3000 करोड़ के लिए
			ii) 10-14 वर्ष ₹ 5,000-6,000 करोड़ के लिए
			iii) 15-19 वर्ष ₹ 1,000-2,000 करोड़ के लिए
			iv) 20 वर्ष और अधिक ₹ 2,000-3,000 करोड़ के लिए
6	06-10 फरवरी, 2017	11,000	i) 05-09 वर्ष ₹ 2,000-3000 करोड़ के लिए
			ii) 10-14 वर्ष ₹ 5,000-6,000 करोड़ के लिए
			iii) 15-19 वर्ष ₹ 1,000-2,000 करोड़ के लिए
			iv) 20 वर्ष और अधिक ₹ 2,000-3,000 करोड़ के लिए
कुल		66,000	

2. पूर्व की भांति कैलेंडर में शामिल सभी निलामियों में अप्रतिस्पर्धी बोली योजना की सुविधा रहेगी जिसके अंतर्गत अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत विनिर्दिष्ट खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित रहेगा।

जैसा कि विगत में होता रहा है, भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के पास अधिसूचित राशि, निर्गमन अवधि, परिपक्वता इत्यादि के संदर्भ में उपर्युक्त कैलेंडर में परिवर्तन करने और विभिन्न प्रकार की लिखतें निर्गमित करने की स्वतंत्रता रहेगी जिनमें मानक-भिन्न परिपक्वता की लिखतें और अस्थायी दर वाली लिखतें निर्गमित करना शामिल है। ऐसा भारत सरकार की आवश्यकता, बदलती बाजार स्थितियों के अनुसार और अन्य प्रासंगिक कारकों पर उचित ध्यान देते हुए किया जाएगा।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
बजट प्रभाग
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 02 जनवरी, 2017